अपील/15/2017

न्यायालय जिला कलक्टर, भरतपुर

1—रामजीलाल
2—मांगी
3—भरती
} पुत्रगण रामस्वरुप जाति गूजर निवासी करीली तहसील नदबई जिला भरतपुर
4—लच्छो पुत्री रामस्वरुप

.....अपीलान्ट्स

बनाम

भगवानसिंह पुत्र श्री गिर्राज जाति गूजर निवासी करीली तहसील नदबई जिला भरतपुर

.....रेस्पो0

अपील विरुद्ध आदेश तहसीलदार नदबई दिनांक 11—7—2016 बाबत नामान्तकरण संख्या 1221 बाके ग्रांम करीली तहसील नदबई

उपस्थित :—

1—श्री महाराजसिंह डागुर, अभिभाषक अपीलान्ट,

निर्णय दिनांक 8.5.2024

अपीलान्ट ने यह अपील विरुद्व रेस्पो0 व खिलाफ नामान्तकरण संख्या 1221 दिनांक 11.07.2016 आदेश तहसीलदार नदबई के पेश की गई है। अपीलान्ट्स के द्वारा यह अपील न्यायालय हाजा में दिनांक 5.8.2016 को पेश की गई है। अपीलाधीन आदेश नामान्तकरण संख्या 1221 दिनांक 11.07.2016 रेस्पो. के हक में स्वीकार किया गया है। उक्त आदेश के खिलाफ यह अपील इस न्यायालय में दिनांक 5.8.2016 को पेश की गई है।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर रेस्पो. की तलवी की गई। रेस्पो. बाबजूद सूचना उपस्थित नहीं आया है। योग्य अभिभषक अपीलान्ट की बहस इकतरफा में सुनी गई।

योग्य अभिभाषक अपीलान्ट ने अपील में अंकित कथनों को दोहराते हुये जाहिर किया कि जिस निर्णय/डिक्री के आधार पर नामान्तकरण दर्ज किया गया है उसे दिनांक 6.7.2016 तक स्टे किया हुआ था। इस प्रकार स्टे आदेश के विचाराधीन

.....2

जिला कलक्टर
भरतपुर

रहते हुये अपीलाधीन आदेश जारी किया गया है जो काबिल निरस्ती के रहता है। तहत न्यायालय ने ये सारी कार्यवाही रेस्पो. से मिलकर की है। योग्य अभिभाषक का यह कथन कि इस निर्णय/डिक्री को खिलाफ राजस्व अपील प्राधिकारी के यहाँ अपील पेश की हुई है। एस.डी.ओ. ने अपने निर्णय/डिक्री आदेश को दिनांक 6.6.2016 से एक माह यानि 6.7.2016 तक स्थगित किया हुआ था। तहत न्यायालय ने स्थगन आदेश के होते हुये दिनांक 14.7.16 से पीछे की तारीख दिखाकर त्रुटि पूर्ण अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है। तहत न्यायालय ने मौके पर कब्जे की बावत कोई जांच नही की गई है और नाहीं कोई नोटिस दिया गया है। अपीलाधीन आदेश नियमों के खिलाफ पारित किया गया है अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश निरस्त किया जावे।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। योग्य अभिभाषक अपीलान्ट के कथनों पर गौर किया गया। अपीलाधीन आदेश नामान्तकरण संख्या 1221 का अवलोकन किया गया। नामान्तकरण संख्या 1221 के कॉलम संख्या 14 व 16 में हो रहे इन्द्राज से यह स्पष्ट है कि यह नामान्तकरण एस.डी.ओ. के निर्णय/डिक्री के आधार पर भरा जाकर स्वीकार किया गया है। योग्य अभिभाषक का यह कहना कि एस.डी.ओ. ने अपने निर्णय डिग्री को एक माह यानि 06.07.2016 तक स्थगित कर दिया था। तहसीलदार ने पिछली तारीख में नामान्तकरण दर्ज कर स्वीकार कर दिया है अपीलान्ट का यह कथन स्वीकार योग्य नहीं रहता क्योंकि अपीलान्ट ने अपने जुबानी कथनों के सिवाय ऐसा कोई साक्ष्य दस्तावेजी हमारे समझ पेश नहीं किया है जिससे उनके जुबानी कथनों की पुष्टी हो सके। नामान्तकरण के अवलोकन से जाहिर है कि विवादित नामान्तकरण तहसीलदार ने दिनांक 11.7.2016 को स्वीकार किया है, यानि अपीलान्ट के मुताविक तहसीलदार के आदेश दिनांक 11.07.2016 को कोई स्थगन नहीं था। अपीलान्ट का यह कहना कि नोटिस जारी नहीं किये गये हैं, तहसीलदार ने कब्जे की बाबत कोई जांच नहीं की है अपीलान्ट का यह कथन भी स्वीकार योग्य नहीं रहते हैं क्योंकि नामान्तकरण निर्णय/डिक्री की पालना में भरा जाकर स्वीकार किया गया है, तहसीलदार ने अपर कोर्ट के आदेश की पालना की है, ऐसे आदेश की पालना में नोटिस एवं कब्जा की बाबत जांच करने की आवश्यकता नहीं रहती है। तहत न्यायालय को अपर कोर्ट के आदेश की पालना करनी होती है। तहसीलदार ने अपर कोर्ट के आदेश की पालना में नामान्तकरण स्वीकार किया है जिसमें उसने कोई त्रुटि नहीं की है। अस्तु हम अपीलाधीन आदेश में किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं पाते हैं। अपील अपीलान्ट काबिल खारिज के रहती है।

अतः आदेश है कि :–

उपरोक्त विवेचनानुसार अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 8–5–2024 को लिखाया जाकर सुनाया गया।

(डॉ. अमित यादव)
जिला कलक्टर,
भरतपुर